

राजस्थान नगर पालिका(प्रशासनिक एवं तकनीकी) व (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन आयोग
जी-3, राजमहल रेजीडेंसी, नीयर सिविल लाईन फाटक जयपुर

क्रमांक:एफ10(छ)/भर्ती आयोग/डीएलबी/15/2009

दिनांक:- 30.12.2015

विज्ञापित संख्या -1

सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा

राजस्थान नगर पालिका(प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा नियम 1963 एवं नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्त) नियम 2014, के अन्तर्गत राज्य की नगर निकायों में विभिन्न संवर्ग के निम्नानुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा 2015 के लिये इच्छुक, निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं।

पदवार/वर्गवार आरक्षण संबंधी विवरण निम्नानुसार है:-

भर्ती हेतु पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण(Non TSP Posts)																			
क्रम सं.	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			विशेष पिछड़ा वर्ग			क्षैतिज आरक्षण	
			महिला		महिला		महिला		महिला		महिला		महिला		नि:शक्तजन	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी		
			पुरुष	विधवा विच्छिन्न विवाह	पुरुष	विधवा विच्छिन्न विवाह	पुरुष	विधवा विच्छिन्न विवाह	पुरुष	विधवा विच्छिन्न विवाह	पुरुष	विधवा विच्छिन्न विवाह	पुरुष	विधवा विच्छिन्न विवाह					
1	अधिशाषी अधिकारी -चतुर्थ (Executive officer-IV)	47	17	6	1	5	2	4	1	7	2	2	2	2	2	-	-		
2	राजस्व अधिकारी-द्वितीय (Revenue officer -II)	20	7	3	3	3	2	3	1	3	1	1	1	1	1	-	-		
3	राजस्व निरीक्षक(Revenue inspector)	68	24	7	2	7	3	6	2	10	3	1	3	2	2	-	1		
4	सहायक राजस्व निरीक्षक(Assistant Revenue inspector)	85	29	9	3	10	2	1	7	3	4	1	3	1	3	-	1		
5	ठोस कचरा प्रबंधक (सफाई निरीक्षक) (Solid Waste Manager)	72	25	8	2	8	3	6	2	11	3	1	3	3	3	-	1		
6	स्वास्थ्य अधिकारी-(साधारण वेतन मान) (Health Officer)	26	10	2	1	3	1	3	4	1	1	1	1	1	1	-	-		
7	सहायक अभियन्ता (सिविल) (Assistant Engineer- (Civil))	50	17	6	1	6	2	5	1	7	3	2	2	2	2	-	-		
8	सहायक अभियन्ता-विद्युत (Assistant Engineer (Electrical))	16	7	3	2	2	1	3	3	3	3	1	1	1	1	-	-		
9	सहायक अभियन्ता-यांत्रिकी (Assistant Engineer (Mechanical))	9	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
10	सहायक अभियन्ता (पर्यावरण व ठोस कचरा प्रबंधन) (Assistant Engineer (Solid Waste	50	17	6	1	6	2	5	1	7	3	2	2	2	2	-	-		

05. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता-

- (1) अधिशाषी अधिकारी चतुर्थ,
- (2) राजस्व अधिकारी द्वितीय,
- (3) राजस्व निरीक्षक,
- (4) सहायक राजस्व निरीक्षक
- (5) ठोस कचरा प्रबंधक (सफाई निरीक्षक)

उक्त पांच पदों की शैक्षणिक योग्यता:- भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित योग्यता।

उक्त पाचों पदों के लिए एक ही प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें आवेदक अपने ऑन लाईन आवेदन पत्र में सेवा वरियता क्रम का उल्लेख करेगा। जिन आवेदकों द्वारा पदों की वरियता क्रम का उल्लेख नहीं किया जाता है तो उनकी प्राथमिकता विभाग द्वारा तय की जावेगी। उक्त पाचों पदों हेतु आवेदक को ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने हेतु एक बार ही फीस का भुगतान करना होगा।

(6) नियमों में रहे प्रावधानानुसार स्वास्थ्य अधिकारी (सामान्य वेतनमान) के लिए शैक्षणिक योग्यता एम.बी.बी.एस एवं डी. पी.एच. की डिग्री होना आवश्यक है।

(7) नियमों में रहे प्रावधानानुसार सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता बी.ई सिविल की डिग्री होना आवश्यक है।

(8) नियमों में रहे प्रावधानानुसार सहायक अभियंता (विद्युत) के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बी.ई विद्युत की डिग्री होना आवश्यक है।

(9) नियमों में रहे प्रावधानानुसार सहायक अभियंता (यांत्रिकी) के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बी.ई. यांत्रिक की डिग्री होना आवश्यक है।

(10) नियमों में रहे प्रावधानानुसार सहायक अभियंता (पर्यावरण एवं ठोस कचरा प्रबंधन) पद की शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:-

Master's Degree in Environmental Engineering after bachelor's degree either in Bio-Technology or Chemical or Civil or Mining or Environmental or Textile Engineering from a University established by law in India or foreign qualification recognized or equivalent thereto.

(11) नियमों में रहे प्रावधानानुसार नगर नियोजन सहायक के पद की शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :-

Bachelor of Planning or Bachelor of Technology in Planning from a recognized university or Institute established by law in India.

or

Degree in Architecture from a university established by law in India or qualification recognized as equivalent there to by the Government.

or

Post Graduate Degree in Geography/Economics/Sociology from a university established by law in India or qualification recognized as equivalent there to by the Government.

With

Post Graduate Degree in Remote Sensing & Geo-informatics degree in a university established by law in India or qualification recognized as equivalent there to by the Government.

(12) नियमों में रहे प्रावधानानुसार वरिष्ठ प्रारूपकार की शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:-

Post Graduate Degree in Geography/Economics/Sociology of a university established by law in India or qualification recognized as equivalent there to by the Government.

with

Post Graduate Diploma in Remote Sensing & Geo-informatics (1 Years. Course) from a university established by law in India or qualification recognized as equivalent there to by the Government.

or

Diploma in Architecture/Architectural Assistantship (3 Yrs course) or equivalent qualification from recognized Institution.

or

Polytechnic Diploma in Civil Draftsmanship with two yrs. experience in Town Planning/Architect's office.

नोट:- पद संख्या एक 01 से 05 एवं 07 से 12 की शैक्षणिक योग्यता के साथ यह भी पढा जाये:- परन्तु यह कि पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु उसे परीक्षा परिणाम घोषित होने तक अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का लाभ वे ही अभ्यर्थी प्राप्त कर सकेंगे जो ऑन लाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं स्नातक उपाधि परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुये या सम्मिलित होने वाले हैं।

(13) सहायक अग्निशमन अधिकारी :- नियमों में रहे प्रावधानानुसार सीनियर सेकेण्डरी या इसके समकक्ष अर्हता, और नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर द्वारा संचालित सब-आफीसर पाठ्यक्रम या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों द्वारा संचालित कोई भी समकक्ष पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक।

(14) फायरमैन :- सेकेण्डरी या उसके समकक्ष अर्हता और केन्द्रीय या किसी भी राज्य सरकार या यथा स्थिति, विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा संचालित न्यूनतम छः माह की अवधि का बेसिक एलीमेन्ट्री फायरमैन प्रशिक्षण या समकक्ष अर्हता।

नोट:- सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन के पदों हेतु आयोजित ऑनलाईन परीक्षा में सफल होने वाले आवेदकों का शारीरिक मापदण्ड (physical measurement) विभाग द्वारा पृथक से लिया जावेगा।

(15) ड्राईवर फायर कम फायर मशीन ऑपरेटर के पद की शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:-

Secondary with 6 Months Fire Diploma and 3 years experience in heavy and light vehicle driving.

नोट:- ड्राईवर फायर कम फायर मशीन ऑपरेटर वाहन चालन के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर फायरमैन संबंधी कार्य भी करेगा तथा ऑन लाईन परीक्षा में सफल आवेदक का ड्राईविंग टेस्ट एवं फायरमैन संबंधी फिजिकल टेस्ट अलग से लिया जावेगा।

देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी सस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

06. आयु:-

क्रम संख्या 1 से 12 एवं 15 तक के आवेदक 1 जनवरी, 2016 को 21 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं हुआ हो, तथा क्रम संख्या 13 से 14 तक के आवेदक 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं हुआ हो, परन्तु, यह कि :- " जिस पदों की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी।"

नोट:- अधिशाषी अधिकारी चतुर्थ, राजस्व अधिकारी द्वितीय, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन के पदों की सीधी भर्ती वर्ष 2012 में की गई थी। अतः इन्हीं पदों के विरुद्ध ऑन लाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही इस छूट का नियमानुसार लाभ दिया जावेगा।

1. अपवादीय मामलों में राज्य सरकार विभाग से परामर्श लेकर 5 वर्ष की छूट दे सकती है।
2. उपर उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में--
 - (क) राजस्थान राज्य के मूल निवासी अ0जा0/अ0ज0जा0 तथा अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग (नोन क्रीमीलेयर) के पुरुष अभ्यर्थी के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
 - (ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
 - (ग) राजस्थान राज्य की मूल निवासी अ0जा0/अ0ज0जा0 तथा अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग (नोन क्रीमीलेयर) के महिला अभ्यर्थी के लिये ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।
3. रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों (ex- service man) के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
4. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पर अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर कार्य कर चुके हों और इन नियमों के तहत नियुक्ति के पात्र के लिए ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
5. उस भूतपूर्व कैदी के मामले जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, के लिए ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा में उसके कारावास काल के बराबर छूट दी जायेगी।
6. राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रूप कार्यरत कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
7. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी (Substantive) सेवारत व्यक्तियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8. निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सैन्य से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने विभागके समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्त कि वे सैन्य में कमीशन ग्रहण करते समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।
9. पूर्वी अफ्रीका देश कीनिया, तजानिया, उगांडा एवं जंजीवार से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के लिए आयु का प्रतिबन्ध नहीं है।

10. एन.सी.सी के कॅडिट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
11. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा का प्रचलन नहीं है।
12. विधवाओं और विछिन्न-विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
स्पष्टीकरण - विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. राजस्थान नि: शक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है :-
 1. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
 2. पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
 3. अ0जा0/अ0जा0 के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

नोट :-

(क) रिजर्विष्ट/संस्थाई आवेदक को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जायेगी यदि वह विभागकार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करने के अन्तिम दिनांक तक रिजर्विष्ट/संस्थाई की श्रेणी में हों अन्यथा आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जायेगी और आवेदक को अधिकायु रहने से उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(ख) अधिक जानकारी के लिए संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन करें।

(ग) परोक्त पैरा 8 के लिए प्रावधान संख्या 1 से 13 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त 1 से 13 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान की अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(घ) जिस आरक्षित वर्ग में महिलाओं के पद आरक्षित नहीं होंगे उन्हें आयु सीमा की छूट उसी वर्ग के पुरुष को देय छूट के अनुसार ही देय होगी।

07. विशेष सूचना :-

1. उपरोक्तानुसार नि:शक्तजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात् जिस वर्ग (SC/ST/BC/SBC/GEN) का अभ्यर्थी उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
2. महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्गमें, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

A. स्पष्टीकरण : किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। पिछड़ी एवं विशेष पिछड़ी जाति की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो ही आरक्षण का लाभ देय अन्यथा नहीं। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

B. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत (विछिन्न विवाह महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्त्या महिला/ (विछिन्न विवाह महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को विधवा एवं परित्यक्तता महिला को परस्पर समायोजित कर भरा जावेगा और यदि दोनों वर्ग की महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो उस पद को उसी वर्ग की अन्य सामान्य महिला अभ्यर्थी से भरा जाएगा।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद के केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं, से ही भरे जायेंगे। राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी नहीं होने पर आवेदन को सामान्य वर्ग का माना जावेगा और उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके आरक्षित पदों को सामान्य/पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

5. **भूतपूर्व सैनिकों हेतु :-** भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज(Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) को उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

08. नि:शक्त व्यक्तियों के लिए :-

i राजस्थान नि:शक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है:-

1. Blind or Low vision
2. Hearing Impairment
3. Locomotor Disability & cerebral palsy (LD&CP)
- O.L- One Leg affected (R or L)

**(a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) at axic
B.L- Both legs affected but not arms.**

ii. निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

iii. उपरोक्त दर्शाए गए निःशक्तजन के आरक्षित पदों लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के अनुसार भरा जावेगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के नियम 5 (4) के अनुसार उपरोक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपालना के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहां ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जाएगा।

iv. निःशक्तजन आवेदक On line Application Form में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

v. ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण-पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक को निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

09. उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-3/84 दिनांक 15.3.2013 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात् वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी।

A. उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान- कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 15-03-2013 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने-

1. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।
या
2. इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।
या
3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जिता हो।
या
4. इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

कृपया ध्यान दें कि यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना साक्ष्य गलत आरक्षण श्रेणी अंकित की है, तो आयोग द्वारा आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी कि जा सकती है।

10. वेतनमान :-

क्रम संख्या	पद नाम	पे-बेण्ड	ग्रेड-पे	परिदीक्षा काल में देय मासिक पारिश्रमिक
1.	अधिकाधी अधिकारी (चतुर्थ)	9300-34800 (पीबी-2)	4200	14,660
2.	राजस्व अधिकारी (द्वितीय)	9300-34800 (पीबी-2)	4800	17,230
3.	राजस्व निरीक्षक	9300-34800 (पीबी-2)	3600	13,200
4.	सहायक राजस्व निरीक्षक	5200-20200 (पीबी-1)	2400	8,910
5.	ठोस कचरा प्रबंधक	5200-20200 (पीबी-1)	2800	11,820
6.	स्वास्थ्य अधिकारी सामान्य वेतनमान	15600-39100 (पीबी-3)	5400	22,180
7.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	15600-39100 (पीबी-3)	5400	22,180
8.	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	15600-39100 (पीबी-3)	5400	22,180
9.	सहायक अभियन्ता (यांत्रिकी)	15600-39100 (पीबी-3)	5400	22,180

10.	सहायक अभियन्ता (पर्यावरण एवं ठोस कचरा प्रबंधन)	15600-39100 (पीबी-3)	5400	22,180
11.	नगर नियोजन सहायक	9300-34800. (पीबी-2)	4200	14,660
12.	वरिष्ठ प्रारूपकार	9300-34800 (पीबी-2)	3600	13,200
13.	सहायक अग्निशमन अधिकारी	5200-20200 (पीबी-1)	2800	11,820
14.	फायरमैन	5200-20200 (पीबी-1)	2000	7,790
15.	ड्राईवर फायर कम फायर मशीन ऑपरेटर	5200-20200 (पीबी-1)	2400	8,910

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 21 की अनुसूची iv के अनुसार परीक्षा काल में पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। पूर्व में संस्थाई सेवारत अभ्यर्थियों को चयन से पूर्व विद्यमान संवर्ग के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने की सुविधा रहेगी एवम नियमानुसार भत्ते देय होंगे ऐसे अभ्यर्थियों को वेतन वृद्धि का लाभ परीक्षाकाल समाप्त के बाद ही देय होगा। परीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष के परीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की पे-बेण्ड में नियमानुसार ग्रेड-पे में वेतन देय होगा। दिनांक 01.01.2004 से नई भर्ती/नियुक्ति होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

11. पेंशन :- नये भर्ती/नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार दिनांक 01.01.2004 अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
12. विवाह पंजीयन :- शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह -13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वाछनीय होगा।
13. परीक्षा शुल्क जमा करने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि-
 - (क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C) नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 31.12.15 से 03.02.2016 को रात्रि 12 बजे (ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र पर रात्रि 8 बजे) तक जमा कराया जा सकता है।
 - (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 31.12.15 से 03.02.2016 को रात्रि 12 बजे तक विभाग की वेबसाईट पर भरे जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।
14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :- सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित कर, स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा विभाग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठन की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है।
15. नियुक्ति के लिए अयोग्यता :-
 - (i) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक संतानों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निहित नहीं समझा नहीं जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके संतानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वतः प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा परन्तु यह भी कि किसी भी संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वतः प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जावेगी।
 - (ii) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक की सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात् ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं है।
 - (iii) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट देय नहीं है।
 - (iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
16. आवेदन कैसे करें :- आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।
नोट :- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग की कीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछड़ा वर्ग/ विशेष वर्ग (कीमिलेयर एवं नॉन कीमिलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें।
कृपया ध्यान दें :-
 1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभाग के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
 2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के संबंध में चाही

आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

3. विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं के आधार पर ही पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाएगा।
4. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक पश्चात् वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
5. आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई अन्तिम दिनांक तक विभाग को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को विभाग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि विभाग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियों विभाग द्वारा सही मान ली गई है। विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता संबंधी जांच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ विभाग में प्रस्तुत करना होगा। विभाग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की मूल प्रलेखों से जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग या विभाग की अन्य किसी भी शर्त की पालना नहीं करने के कारण उसकी अपात्रता का पता चलता है तो, इसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
6. संक्षिप्त विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा एवं विस्तृत विज्ञापन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, इसके अध्ययन के उपरान्त ही अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र भरा जावे।
7. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश
 1. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 2. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड करना चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो मान्य नहीं होगा।
 3. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
 4. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
 5. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
 6. यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
 7. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
 8. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साइज 3.5cm×4.5cm होनी चाहिए।
 9. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल 140(height)×110(width) होना चाहिए।
 10. फाइल का आकार 20 के.बी. से 100 के.बी होना चाहिए।
 11. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
 12. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
 13. अगर अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर उपलब्ध कैमरा से फोटो खिंचवाकर आवेदन पत्र में अपलोड करता है तो उसे 5/- रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
8. हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश
 1. आवेदक एक सफेद कागज (A4 Size) पर 7 सेंमी उंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पैन से हस्ताक्षर करे।
 2. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
 3. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद डेमेज कर स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्राप करने के पश्चात् अपलोड करें।
 4. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किए गए आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए, अन्यथा आवेदक को अयोग्य ठहराया जा सकता है।
 5. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
 6. जेपीईजी (JPEG) के लिए पिक्सेल 110(Height)×140(width) होना चाहिए।
 7. फाइल का आकार 10 के.बी. से 100 के.बी तक होना चाहिए।
 8. हस्ताक्षर का आकार 100 के.बी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
 9. मोबाईल फोन द्वारा लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विशेष टिप्पणी :-

1. परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही त्रुटी अथवा किसी प्रकार की शिकायत के संबंध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 72 घंटे (तीन दिवस) के भीतर प्रश्न पत्र संबंधी आक्षेप विभाग की वेबसाइट <http://www.cmar-india.org> पर ऑन लाईन के माध्यम से प्रस्तुत करें। नियत समय के पश्चात् परीक्षार्थी द्वारा आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे। विभाग द्वारा इस संबंध में कोई भी लिखित आक्षेप स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष / परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक पैन, पैन्सिल, प्रवेश-पत्र या विभाग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षाकक्ष/परीसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो वही जब्त किया जा सकता है। तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केंद्राधिकक्षक/संचालक व विभाग की नहीं होगी।
 3. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है वहां मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित आवेदक के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठन पर रोक लगाने, अनुशासनात्मक एवं आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।
17. **प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-**
(भेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन निम्नानुसार किया जावेगा)
- 1 जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ होना चाहिए।
 - 2 अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक है।
 - 3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - 4 राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों को On line Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
 - 5 अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
 - 6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।
18. **अनुचित साधनों की रोकथाम :-** परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध विभाग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं विभाग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolvent behaviour/ disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

सचिव

राजस्थान नगर पालिका(प्रशासनिक एवं तकनिकी) व (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन आयोग जयपुर